8.4.28

पत्रावली पेश हुयी। वादी/प्रति. वकलाय उप. रहे। प्रकरण मे मूल दावे मे प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर मूल दावा खारिज किया जा चुका है इसलिये प्रा.पत्र 212 RTA का कोई औचित्य नही रहता है। अतः प्रा.पत्र 212 RTA को भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)